फर्द अहकाम

(नियम 26)

न्यायालय उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर सुजानगढ़

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार स्वामी आर.ए.एस.

वाद पत्र– अन्तर्गत धारा 88 आरटीए व 136 एलआर एक्ट मु.नं. 70 सन् 2019

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिशियलस जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
22.08.2019	यह वाद पत्र राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के तहत वादी कानदास पुत्र मालदास जाति स्वामी निवासी आबसर तहसील सुजानगढ ने वाद पत्र प्रस्तुत किया गया। वाद पत्र की पत्रावली मुर्तिब हुई। पत्रावली दर्ज रजिस्टर की जावे। प्रकरण में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार से है कि ग्राम आबसर की जमाबन्दी संवत् 2073–76 खाता खंख्या नया 80 खाता संख्या पुराना 70 में खसरा संख्या 278 रकबा 0.1264, खसरा संख्या 283 रकबा 12.6197 खसरा संख्या 287 रकबा 6.9168, खसरा संख्या 381 रकबा 4.8809, कुल खसरा 4 रकबा 24.5438 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमे खसरा नं. 283 व 381 का रकबा सही है। परन्तु खसरा नं. 278 व 287 का रकबा नक्शा X तथा मौकानुसार गलत दर्ज है। यह गलती भु. प्रबन्ध विभाग संवत् 2028 से ही चली आ रही है। अतः खसरा नं. 278 का रकबा 0.1264 की बजाय 5.7281 तथा खसरा नं. 287 का रकबा 6.9168 की बजाय 1.3150 हैक्टेयर किया जाने के आदेश फरमावे। वाद पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। वाद पत्र के साथ संलग्न बन्दोबस्त विभाग का क्षेत्रफल तुलना, मिलान क्षेत्रफल, नक्शा, नजरी नक्शा, जमाबन्दी संवत् 2073–76, जमाबन्दी 2028–31 मिसल बन्दोबस्त संवत 2002 पेश किये जो शामिल पत्रावली है। वाद पत्र के साथ हल्का पटवारी आबसर, भु.अ.नि. बड़ाबर व तहसीलदार सुजानगढ की रिपोर्ट संलग्न है। पटवार हल्का आबसर ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया हैं कि खसरा संख्या 278 रकबा 0.1264, खसरा संख्या 283 रकबा 12.6197 खसरा संख्या 287 रकबा 6.9168, खसरा संख्या 381 रकबा 4.8809, कुल खसरा 4 रकबा 24.5438 हैक्टेयर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। जिसमे खसरा नं. 283 व 381 का रकबा सही है। परन्तु खसरा नं. 278 व 287 का रकबा गलत दर्ज है। संलग्न दस्तावेज व पटवारी रिपोर्ट के अनुसार खसरा नं. 278 का रकबा 0.1264 की बजाय 5.7281 तथा खसरा नं. 287 का रकबा 6.9168 की बजाय 1.3150 हैक्टेयर जो शुद्ध किया जाना उचित है। भू–अभिलेख निरीक्षक बड़ाबर ने पटवारी रिपोर्ट को उचित बताया है। तहसीलदार सुजानगढ की रिपोर्ट के अनुसार भू–अभिलेख निरीक्षक बड़ाबर व पटवारी हल्का आबसर की रिपोर्ट के आधार पर शुद्व किया जाना उचित है। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजात के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि भू प्रबंध विभाग द्वारा संवत् 2028 में राजस्व अभिलेख को तैयार करते समय खसरा नं. 278 व 287 का रकबा नक्शा X तथा मौकानुसार गलत दर्ज हुआ है। यह गलती भु. प्रबन्ध विभाग संवत् 2028 से ही चली आ रही है। अतः खसरा नं. 278 का रकबा 0.1264 की बजाय 5.7281 तथा खसरा नं. 287 का रकबा 6.9168 की बजाय 1.3150 हैक्टेयर किया जाना उचित है। वादी द्वारा प्रस्तुत वादपत्र व दस्तावेजात एंव पटवार हल्का आबसर, भू–अभिलेख निरीक्षक बड़ाबर की रिपोर्ट तथा तहसीलदार सुजानगढ की अनुशंषा के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 88 व राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम आबसर तहसील सुजानगढ़ व जिला चूरू की जमाबन्दी संवत् 2073–76 के नया खाता संख्या 80 पुराना खाता संख्या 70 में में दर्ज प्रविष्टि के खसरा नं. 278 का रकबा 0.1264 की बजाय 5.7281 तथा खसरा नं. 287 का रकबा 6.9168 की बजाय 1.3150 हैक्टेयर दुरूस्त किये जाने के आदेश दिये जाते है। निर्णय की प्रति तहसीलदार राजस्व सुजानगढ़ को राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद हेतु भिजवाई जाये। पत्रावली निर्णय में शुमार होकर हस्ब जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। निर्णय आज दिनांक 22.08.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया। 22/8/19 उपखण्ड़ अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, सुजानगढ	